छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा   चतुर्थ सत्र   अंक-10

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2015

(फाल्गुन 26, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. पृच्छा

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने कल किसानों एवं मजदूरों के उपर हुए लाठी चार्ज का उल्लेख करते हुए इस पर कार्यवाही किए जाने की मांग की।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि जिन विषयों पर सदन में चर्चा हो चुकी है तथा आगे भी विभिन्न माध्यमों से पर्याप्त अवसर मिलेंगे उन विषयों पर चर्चा की मांग कर प्रश्नकाल को बाधित करना उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष ने भी आग्रह किया कि नियम, प्रक्रिया के अंतर्गत, जो स्वयं हमारे द्वारा ही निर्धारित किये गये हैं, उसके अनुरूप ही कार्यवाही चलने दें। प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है उसमें बाधा न पहुंचाएं।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के नागरिकों के हितों में इस विषय पर चर्चा कराने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने पुन: आग्रह किया कि नियम व प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी विषय को उठा सकते हैं। अगर किसी विषय पर चर्चा करनी है तो नियम प्रक्रिया के अंतर्गत सूचना दिये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 14 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 35 तारांकित एवं 42 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(11.16 बजे से 11.16.15 बजे, 11.42.20 बजे से 11.43.30 बजे तक तथा 11.48 बजे से 11.48.10 बजे तक बिजली गुल रही।)

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

4. बंदी एवं रिहाई की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर की ओर से प्राप्त पत्र दिनांक 16 मार्च, 2015, जो विधान सभा सचिवालय को दिनांक 16 मार्च, 2015 की रात्रि प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है :-

कृपया विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 16 मार्च, 2015 को प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान न्याय यात्रा निकालकर प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी आरोप लगाकार विधान सभा घेरने का आव्हान किया गया था।

माननीय श्री भूपेश बघेल, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज दिनांक 16 मार्च, 2015 को 11.30 बजे ग्राम सेमरिया से किसान न्याय यात्रा निकाल कर विधान सभा भवन घेराव हेतु बलौदा बाजार मार्ग होते हुए विधान सभा भवन की ओर प्रस्थान किया। ग्राम सेमरिया मोड़ विधानसभा के पास पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया, जिससे प्रदर्शनकारी उग्र होकर प्रदर्शन करने लगे कि शांतिभंग होने की संभावना पर 16:30 बजे थाना विधानसभा के अपराध क्रमांक 18/ 78/ 2015 धारा 151/107,116 (3) जाफ्ता फौजदारी के तहत विधायकगण माननीय श्री भूपेश बघेल, श्री पारसनाथ राजवाड़े, श्री बृहस्पत सिंह, डॉ. प्रीतम राम, श्री टी.एस. सिंहदेव, श्री श्यामलाल कंवर, श्री मोतीलाल देवांगन, श्री जनकराम वर्मा, श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्री राजेन्द्र कुमार राय, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री मनोज सिंह मंडावी, श्री शंकर ध्रुवा, श्री संतराम नेताम, श्री मोहन मरकाम, श्री दीपक बैज एवं श्रीमती देवती कर्मा को धारा 151 जाफ्ता फौजदारी के तहत विधिवत् गिरफ्तार कर 17.15 बजे नि: शर्त रिहा किया गया ।

(अत्यधिक व्यवधान के कारण सभा की कार्यवाही 12.10 बजे स्थगित की जाकर 12.58 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने लाठी चार्ज एवं अन्य स्थगन के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि एक से अधिक विषय को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत की गई स्थगन की सूचना विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 55 (2) (3) के अंतर्गत नही है। अत: उन्होंने स्थगन प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है। अन्य सूचना नियम के अंतर्गत आयेगी तो उस पर विचार किया जाएगा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष उपाध्याय, सदस्य ने जिला गरियाबंद में विभागीय अधिकारियों द्वारा शासकीय भूमि का हस्तांतरण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

6. बहिर्गमन

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दल के सदस्यों द्वारा लाठी चार्ज की घटना पर शासन से जवाब न आने के विरोध में दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन किया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

8. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) सर्वश्री उमेश पटेल (अनुपस्थित), मोतीलाल देवांगन, (अनुपस्थित), (डॉ.) विमल चोपड़ा, सदस्य ने प्रदेश में स्वाईन फ्लू से अनेक मौतें होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

मानननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री नवीन मारकण्डेय

(2) श्री श्रवण मरकाम

(3) श्री शिवशंकर पैकरा

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

मानननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि - आज आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का अंतिम दिन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आज पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया है।

आय-व्ययक पर चर्चा एवं विनियोग विधेयक के पारण का कार्य सदन द्वारा स्वीकार कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन अनुसार निर्धारित कार्यक्रम अनुसार संपन्न करना है।

अत: अब मैं सामान्य चर्चा हेतु उपस्थित माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा ।

11. वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

सर्वश्री लखन देवांगन, (डॉ.) सनम जांगड़े, अशोक साहू, केशव चंद्रा, (डॉ.) खिलावन साहू, (डॉ.) विमल चोपड़ा, देवजी भाई पटेल।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 3.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2015 (फाल्गुन-27, शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा